न्यायालय, अपर समाहर्ता,रॉची।

दाखिल खारिज पुनरीक्षण वाद संख्या 01 आर–15/08–09

चौधरी महतो पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

डोमा महतो प्रतिवादी

आदेश

13
26.09.2008

यह पुनरीक्षण दाखिल खारिज अपील 09/07–08 में उपसमाहर्ता भूमि सुधार, बुण्डू, रॉची द्वारा दिनांक 4.1.2008 को पारित आदेश के विरुद्ध दायर किया गया है। निम्न न्यायालय ने दाखिल खारिज वाद संख्या 2 (VI)/86–87 में अंचल पदाधिकारी, बुण्डू द्वारा दिनांक 27.3.1987 को पारित उस आदेश को यथावत रखा है जिसमें पुनरीक्षणकर्ता के नाम निम्नांकित जमीन का नामांतरण अस्वीकृत किया गया था।

ग्राम	खाता	खेसरा	रकबा
एदलहातु	173	1571	15 डिसमिल

पुनरीक्षण आवेदन में बताया गया है कि पुनरीक्षणकर्ता ने ग्राम एदलहातु खाता नं0 173 खेसरा संख्या 1571 रकबा 15 डिसमिल एवं ग्राम छोटकोलमा खाता नं0 48 खेसरा संख्या 129 रकबा 11 डिसमिल, खेसरा संख्या 128 रकबा 35 डिसमिल, खाता संख्या 51 खेसरा संख्या 130 रकबा 9 डिसमिल कुल 70 डिसमिल जमीन निबंधित वसीका संख्या 11839 दिनांक 5.7.1975 द्वारा मधुसूदन भगत वगैरह से खरीदा है। जमीन खरीदने के बाद से ही वे लगातार दखलकार हैं। उक्त बिक्री पट्टे के आधार पर पुनरीक्षणकर्ता ने अंचल कार्यालय, बुण्डू में नामांतरण हेतु आवेदन दिया जिसमें स्थल जॉच में पुनरीक्षणकर्ता का दखल पाया गया। परन्तु अंचल अधिकारी, बंण्डू द्वारा दिनांक 27.3.1987 को सिर्फ ग्राम छोटकोलमा के 55 डिसमिल जमीन का ही नामांतरण स्वीकृत किया गया। ग्राम एदलहातु के 15 डिसमिल जमीन का नामांतरण अस्वीकृत किया गया। पुनरीक्षणकर्ता को इस बात की जानकारी उस समय हुई जब प्रतिवादी ने खेसरा संख्या 1571 की नापी हेतु अंचल कार्यालय में आवेदन दिया। उस नापी वाद में पुनरीक्षणकर्ता ने आपत्ति दाखिल किया।

खेसरा संख्या 1571 का नामांतरण अस्वीकृत होने की जानकारी होने के बाद पुनरीक्षणकर्ता ने उपसमाहर्ता भूमि सुधार, बुण्डू के न्यायालय में दाखिल खारिज अपील 9/07–08 समयक्षांति आवेदन के साथ दायर किया। अपीलीय न्यायालय द्वारा मामले की सुनवाई की गयी एवं अपील खारिज कर दिया गया।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का बहस सुना गया। पुनरीक्षणकर्ता के अधिवक्ता ने बहस में पुनरीक्षण आवेदन के तथ्यों का ही उल्लेख किया एवं तर्क प्रस्तुत किया कि निम्न न्यायालय द्वारा लिमिटेशन के आधार पर अपील खारिज किया गया है जो गलत है। वाद का निष्पादन गुणदोष के आधार पर होना चाहिए था। इस सम्बन्ध में विद्वान अधिवक्ता द्वारा 1987 एस सी 1353 में प्रतिवेदित निर्णय का हवाला दिया गया।

प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि अंचल कार्यालय में नामांतरण हेतु स्वयं पुनरीक्षणकर्ता ने आवेदन दिया था, अतः ग्राम एदलहातु की जमीन का नामांतरण अस्वीकृत होने की जानकारी उन्हें अवश्य थी। पुनरीक्षणकर्ता के बिक्री पट्टे में खेसरा संख्या 1571 दर्ज नहीं है। विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि दिनांक 12.6.1929 को जमींदार ने निबंधित दस्तावेज से जोधा महतो को जमीन बंदोबस्त किया था। जमाबंदी प्रतिवादी के नाम से जमींदारी उन्मूलन के समय से कायम है।

उभय पक्षों के बहस और अभिलेखों के अवलोकन के पश्चात यह निष्कर्ष निकलता है कि अपीलीय न्यायालय ने गुण दोष के आधार पर अपना निर्णय नहीं दिया है। न्यायालय ने कालबाधित के आधार पर रिवीजनकर्ता के अपील वाद को खारिज कर दिया है। उन्हें निम्न विन्दुओं पर पुर्नसुनवाई का निर्देश दिया जाता है।

1. खाता 173 खेसरा 157 रकबा 15 डिसमिल की जमाबन्दी किसके नाम चल रही है और किस आधार पर कायम हुई ?
2 नामान्तरण वाद संख्या 2 आर 27/86–87 के द्वारा रिवीजनकर्ता का किस खेसरा में कितने रकबा की जमाबन्दी कायम हुई ?
3 रिवीजनकर्ता को खेसरा संख्या 1571 कैसे हासिल हुई ?
4 खेसरा संख्या 1571 पर दखल किसका है ?

उपरोक्त विन्दुओं पर उभय पक्षों को सुचना निर्गत करते हुए सुनवाई करके और उनके समक्ष अंचल अधिकारी, बुण्डू से स्थल जॉच कराकर पुनः आदेश पारित करने हेतु यह वाद अपीलीय न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है।

दिनांकः— 26.09.2008

लेखापित एवं संशोधित।

ह0/—

अपर समाहर्ता,
रॉची।